



**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 24.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

**1. थाना कंधरापुर:- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार**  
**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 18.10.2024 को वादिनी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है के द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त शिवा कुमार पुत्र लालबहादुर उर्फ लड्डू निवासी ग्राम आखापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष द्वारा वादिनी को प्रेम के जाल में फँसा कर बहलाफुसलाकर दिनांक 18.09.2023 को अपने साथ भगा ले जाया गया था जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-273/2023 अ0धारा 363/366/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मुकदमा न्यायालय में लम्बित है इसी दौरान पुनः अभियुक्त द्वारा वादिनी को बहलाफुसलाकर शादी का झांसा देकर दिनांक 04.06.2024 को घर से भगा ले जाया गया जहाँ वादिनी के साथ अवैध संबंध बनाया गया व अब वादिनी का अश्लील विडियो बनाकर वादिनी को धमकाया जा रहा है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 299/24 धारा 363/366/376/323/506 भादवि0 ¾ पाकसो एकट बनाम शिवा कुमार पुत्र लालबहादुर उर्फ लड्डू निवासी ग्राम आखापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 24.10.2024 को प्र0नि0 रुद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवा कुमार पुत्र लालबहादुर उर्फ लड्डू निवासी ग्राम आखापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को एक अदद मो0 फोन के साथ मन्दुरी तिराहे से समय करीब 07.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 273/2023 अ0धारा 363/366/506 भा0द0वि0 थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 299/2024 धारा 363/366/376/323/506 भादवि0 ¾ पाकसो एकट थाना कन्धरापुर



**2. थाना कंधरापुर:- किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार**  
**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 18.10.2024 को वादी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग पुत्री को दिनांक 17.10.2024 को अभियुक्त सोनू राम पुत्र मोतीलाल उम्र 22 वर्ष सा0 पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 297/2024 धारा 137(2)/87 BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 24.10.2024 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सोनू राम पुत्र मोतीलाल उम्र 22 वर्ष सा0 पहलवानपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 9.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



### प्रेस विज्ञप्ति

#### आपराधिक, लूट व नकबजनी/चोरी से सम्बन्धित 03 गैंग पंजीकृत

दिनांक- 24.10.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा आपराधिक, लूट व नकबजनी/चोरी से सम्बन्धित 03 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें आपराधिक से 02, लूट से 02 तथा चोरी/नकबजनी में संलिप्त 02 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

**पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-**

**1- थाना कंधरापुर:-** अभियुक्त पिण्टू यादव पुत्र कोमल यादव निवासी देवपार थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए रंगदारी माँगना, मारपीट, गाली गलौज, हत्या करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं०- "डी- 247" होगा। जिसके सदस्य सोनू यादव पुत्र कोमल यादव निवासी देवपार थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र-32 वर्ष हैं।

**2- थाना देवगाँव:-** अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लहुआ कला थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए लूट करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (लूट गैंग) किया गया है। इसका कोड नं०- "डी- 248" होगा। जिसके सदस्य अभिषेक सिंह पुत्र समरबहादुर सिंह निवासी देवाकलपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष है।

**3- थाना देवगाँव:-** अभियुक्त रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए नकबजनी/चोरी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (नकबजनी/चोरी गैंग) किया गया है। इसका कोड नं०- "डी- 249" होगा। जिसके सदस्य इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबिन निवासी वार्ड नं०- 15 चिकयाना गोला कस्बा लालगंज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़, उम्र 30 वर्ष है।

### प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के निर्देशन में दिनांक 25.10.2024 को समय 11.00 बजे से 13.30 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर 2024 के अन्तर्गत जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा जनसुनवाई के पश्चात समय 12.10 बजे से कार्यशाला में प्रतिभाग किया जायेगा।

अतः आप सभी प्रिंट दृश्य-श्रव्य एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हेतु समय 12.30 बजे से 13.30 बजे के मध्य कार्यक्रम की कवरेज हेतु पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में सादर आमंत्रित हैं।